FORM N0. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

भंवरी बनाम कानाराम व अन्य

किस्म मुकदमा / बाज.प्रा.पत्र / एलआर / नं. / 709 / सन् 2020 जिला नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.2020	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। यह बाजदायरी प्रार्थना–पत्र मूल अपील संख्या 67 / 2013(2013 / 00097) भंवरी बनाम कानाराम व अन्य में निर्णय दिनांक 14.06.2019 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश के विरूद्व अपीलार्थी अभिभाषक श्री हेम सिंह राठौड़ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अभिभाषक को एक तरफा सुना गया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व रखी जाती है। संभागीय आयुक्त अजमेर	
30.01.2020	पत्रावली निर्णयार्थ पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही कमोबेश दोहराते हुए निवदेन किया कि प्रकरण में नियत दिनांक 14.06.2019 को अपीलार्थी की अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी में निरस्त किया गया। इस दौरान प्रार्थी / अभिभाषक अन्य न्यायालय में अपने प्रकरण की बहस में व्यस्त होने के कारण न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हो सके और जब बाद में प्रार्थी / अभिभाषक न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए तो पता चला कि अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। प्रार्थी अभिभाषक ने अपीलार्थी को यह आश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है। जब भी जरूरत होगी, सूचना कर देंगे और इस कारण से प्रार्थी भी नियत दिनांक को न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हो सका। अतः न्यायहित में अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अन्त में उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी का बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लेते हुए इसे गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। बाजदायरी प्रार्थना पत्र व मूल अपील एवं पत्रावली प उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन व	

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

बाज.प्रा.पत्र/एलआर/नं./2020 भंवरी बनाम कानाराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थी अभिभाषक :– हेम सिंह राठौड बहस पर मनन के उपरांत यह प्रकट होता है कि मूल अपील दिनांक 14.06.2019 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई थी और प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता बाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2019 को प्रस्तुत किया गया जो अन्दर मियाद है। अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद होने से प्रार्थी का बाजदायरी प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। सम्बंधित मूल अपील 67/2013(2013/00097) भंवरी बनाम कानाराम व अन्य जिला नागौर पुनः नम्बर पर ली जाकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2020.04.07 13:38:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: